

स. 5-1(151)/2012-पीडी

Dated 16.06.2026

प्रेषक : संयुक्त सचिव (प्रशासन)

सेवा में : निदेशक,
केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान
सेक्टर-10, जानकीपुरम विस्तार, सीतापुर रोड,
लखनऊ – 226031

ध्यानाकर्षण : श्री भास्कर ज्योति देउरी, वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक, सीएसआईआर-सीडीआरआई, लखनऊ।

विषय: विज्ञापन संख्या CSIR-CDRI/01/2026 के माध्यम से विज्ञापित मल्टी टास्किंग स्टाफ (समूह सी गैर-तकनीकी) के पदों की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में स्पष्टीकरण – संबंधी।

संदर्भ: सीएसआईआर-सीडीआरआई का दिनांक 26.05.2026 का ई-मेल एवं पत्र संख्या 5(109)/2016-Estt.I दिनांक 26.05.2026

महोदया,

उपरोक्त विषयक सीएसआईआर-सीडीआरआई के दिनांक 26.05.2026 के ई-मेल एवं पत्र संख्या 5(109)/2016-Estt.I दिनांक 26.05.2026 के संदर्भ में, जिसमें विज्ञापन संख्या CSIR-CDRI/01/2026 के माध्यम से विज्ञापित मल्टी टास्किंग स्टाफ (समूह सी गैर-तकनीकी) के पदों की भर्ती प्रक्रिया के संबंध में स्पष्टीकरण माँगा गया है, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से मुझे निम्नलिखित स्पष्टीकरण प्रेषित करने का निदेश हुआ है:

क्र. सं.	संदेह का बिंदु	स्पष्टीकरण
1.	क्या कार्यालय ज्ञापन दिनांक 18.05.2026 द्वारा अधिसूचित संशोधित चयन प्रक्रिया, विज्ञापन संख्या CSIR-CDRI/01/2026 के माध्यम से आरंभ की गई भर्ती प्रक्रिया पर लागू होगी, जबकि उक्त विज्ञापन पूर्ववर्ती चयन प्रक्रिया के अनुसार पहले ही जारी किया जा चुका था?	कार्यालय ज्ञापन दिनांक 18.05.2026 द्वारा अधिसूचित MTS पद हेतु चयन प्रक्रिया में संशोधन भावी प्रभाव (Prospective Effect) से लागू होगा। तदनुसार, संशोधित चयन प्रक्रिया कार्यालय ज्ञापन दिनांक 18.05.2026 से पूर्व जारी किए गए विज्ञापन के संबंध में लागू नहीं होते हैं। अतः कार्यालय ज्ञापन दिनांक 18.05.2026 द्वारा अधिसूचित किए जाने से पूर्व जारी किए गए विज्ञापनों के संबंध में चयन प्रक्रिया विज्ञापन में निर्धारित नियमों व शर्तों के अनुसार ही पूर्ण की जानी है।
2.	क्या वर्तमान भर्ती प्रक्रिया को विज्ञापन संख्या CSIR-CDRI/01/2026 में अधिसूचित मूल चयन प्रक्रिया तथा विज्ञापन जारी किए जाने की तिथि पर प्रचलित प्रावधानों के अनुसार जारी रखा जा सकता है?	
3.	क्या संशोधित चयन प्रक्रिया के दृष्टिगत इस विषय में आगे की कार्रवाई करने से पूर्व संस्थान द्वारा वर्तमान विज्ञापन में संशोधन/शुद्धिपत्र (Corrigendum) जारी किया जाना आवश्यक है?	
4.	क्या ऐसे भर्ती मामलों, जिनमें संशोधित चयन प्रक्रिया की अधिसूचना जारी होने से पूर्व विज्ञापन प्रकाशित किए जा चुके हैं, परंतु चयन प्रक्रिया ट्रेड टेस्ट चरण तक अग्रसर नहीं हुई है, के लिए संशोधित चयन प्रक्रिया की प्रयोज्यता संबंधी कोई संक्रमणकालीन दिशा-निर्देश/अनुदेश जारी किए गए हैं?	

5.	क्या पूर्व प्रचलित चयन प्रक्रिया के आधार पर प्रारंभ की गई भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर, कार्यालय ज्ञापन दिनांक 18.05.2026 द्वारा अधिसूचित संशोधित चयन प्रक्रिया के अनुसार नवीन विज्ञापन जारी किया जाना आवश्यक है?	इस विषय में निर्णय सक्षम प्राधिकारी अर्थात् अपॉइंटिंग अथॉरिटी द्वारा लागू नियमों के अनुरूप लिया जाना अपेक्षित है।
----	---	---

2. उपरोक्त को सूचना, मार्गदर्शन तथा अनुपालन हेतु सभी संबंधितों के संज्ञान में लाया जाए।

भवदीय,



(अमरेन्द्र कुमार)

अवर सचिव (नीति प्रभाग)

प्रतिलिपि:

- 1) सी.एस.आई.आर .की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
- 2) सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों और मुख्यालय के सभी वरिष्ठ उप सचिव/वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/उप सचिव/प्रशासन नियंत्रक/अवर सचिव/प्रशासनिक अधिकारी
- 3) सी.एस.आई.आर. वेबसाइट
- 4) कार्यालय प्रति